आरएफपी संदर्भ सं..: रा.आ.बैंक/आईटीडी/आरएफपी-एडीएफ/आउट 07353 /2020

स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ) एवं समर्थन सेवाओं की खरीद और कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

सूचान प्रौद्योगिकी विभाग
मुख्यलाय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-39187000; 011-39187113; 011-39187187
ईमेलः susanta.padhi@nhb.org.in; munish.bhutani@nhb.org.in

1. बोली विवरण		
1.	बोली दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।
2.	बोलीदाताओ के साथ बोली-पूर्व बैठक*	अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।
3.	बोली दस्तावेजों के बिक्री/डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय	अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय#	अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।
6.	आरएफपी की लागत	5,000/- रूपये (अप्रतिदेय) उपरोक्त के बिना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी
7.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	300,000/- रूपये (प्रतिदेय)
8.	**बोलियां खोलने का स्थान** *(यदि वीसी के माध्यम से ईमेल पर बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा)*	राष्ट्रीय आवास बैंक, सूचान प्रौद्योगिकी विभाग, मुख्यालय कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

नोट:-

- * कोविड के चलते, बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। इच्छुक बोलीदाता इस आरएफपी के भाग 3.1 के अनुसार ईमेल पर बोली पूर्व प्रश्न भेज सकते हैं
- # तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। बैठक लिंक रा.आ.बैंक द्वारा अग्रिम में ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा।
- *किसी भी परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित कर या नामित संपर्क व्यक्ति से ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।*
- इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।
- रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में है।

3. बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता से बोली दस्तावेजों में सभी निर्देशों, रूपों, नियमों और विशिष्टताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। बोली दस्तावेजों द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली खारिज हो सकती है और यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगी।

3.1 संविदात्मक करार के निष्पादन तक किसी भी प्राप्तकर्ता और बैंक के बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होगा।

3.2 प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर/वेंडरों को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है। आरएफपी दस्तावेज़ किसी अनुबंध या व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगा, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए इस दस्तावेज़ या किसी भी जाँच या समीक्षा के इश्यू का परिणाम हो सकता है।

3.3 प्राप्तकर्ता को आरएफपी के लिये बैंक के जवाब में, इस परिचय एवं अस्वीकरण की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

3.4 प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजेः

एस. के. पाढ़ी उप महाप्रबंधक ईमेल: susanta.padhi@nhb.org.in टेलीफोन: 011-39187113; 01139187000-एक्स.113 फैक्स: +91 - 11 – 24649432	मुनीष भुटानी क्षेत्रीय प्रबंधक ई-मेल: munish.bhutani@nhb.org.in फोन : 011-39187187; 01139187000-एक्स. 187 फैक्स: +91 - 11 – 24649432

3.5 बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी प्राप्तकर्ता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री प्राप्तकर्ता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।

3.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

3.7 यदि बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी प्राप्तकर्ताओं को सूचित करें।

3.8 यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रात: सुबह 10 से सायं 5:00 बजे (अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार) के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बैंक अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने या स्पष्ट करने के लिए आरएफपी बंद होने के बाद किसी भी प्राप्तकर्ता (या साथ में एक से अधिक प्राप्तकर्ता देने वाले) के साथ चर्चा या बातचीत कर सकते हैं।
- वेंडर को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।
- बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करने वाली बोलियां आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी और बाद में न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन दोनों पूरी करने वाली बोलियां वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी।

3.1 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता **है।** सभी बोलीदाताओं के प्रश्न बोली पूर्व बैठक की तिथि से कम से कम 2 दिन पहले ईमेल द्वारा या डाक द्वारा उपरोक्त ई-मेल/पोस्टल पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

इच्छुक बोलीदाता निर्धारित समय में इंटरनेट एक्सप्लोरर / गूगल क्रोम ब्राउज़र में लिंक का उपयोग करके निर्धारित प्री-बिड मीटिंग में भाग ले सकते हैं

https://nhbonline.webex.com/nhbonline/j.php?MTID=m419fd4c8f717b6275ff59f1da091ab70

वीबेक्स ऐप के माध्यम से: मीटिंग संख्या: 1760611900 पासवर्ड: 12345

3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3.3 निविदा की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

3.4 गोपनीयता का विवरण

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.5 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

3.6 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ वास्तविक कीमतों को अलग से प्रच्छादित करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही वास्तविक कीमत की बोली राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली/निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली'का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवाय) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से न मिलता हो।

3.7 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फोर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। "ठीक", "स्वीकृत", "विख्यात", जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.8 बोली दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय आ.बैंक किसी भी कारण से बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

3.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का आधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

3.10 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

- बोली में दो प्रस्ताव अर्थात तकनीकी प्रस्ताव एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव शामिल हैं।
- तकनीकी प्रस्ताव में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:
- दस्तावेजी साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि बोलीदाता बोली के लिए पात्र है और अनुबंध-घ के अनुसार अनुबंध अर्थातः न्यूनतम पात्रता मानदंड की कार्य-निष्पादन हेतु पात्र है।

- अनुबंध – 'छ' के अनुसार तकनीकी बोली। कोई भी तकनीकी बोली जिसमें मूल्य की जानकारी है अस्वीकार की जाएगी।
- राष्ट्रीय आवास बैंक को 3,00,000 /- रूपये (प्रतिदेय) के ई-भुगतान का प्रमाण।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली,माकस्ड वाणिज्यिक बोली की सॉफ्ट प्रति
- मास्कड कीमत बोली जो मूल्य इंगित किये बिना वाणिज्यिक बोली में सूचीबद्ध सभी घटकों को सूचिबद्ध करती है।
- आरएफपी लागत और ईएमडी राशि के बिना बोलियां अस्वीकृत की जाएंगी।
- व्यावसायिक प्रस्ताव में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:
- अनुलग्नक 'ज' के अनुसार कवरिंग पत्र के साथ अनुलग्नक 'झ' के अनुरूप पूर्ण वाणिज्यिक बोली।
- किसी भी विचलन या समान खंडों वाली वाणिज्यिक बोली कीमत बोलियों की सॉफ्ट कॉपी तुरंत अस्वीकार कर दी जाएगी।
- कोई भी अन्य जानकारी अलग से अनुलग्नकों में प्रस्तुत की जाए।

3.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी।

3.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

i. सभी प्रतिक्रियाएं **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से निम्नलिखित खाता विवरण के अनुसार 3,00,000 रूपये (तीन लाख रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये:-

खाता विवरण :

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511

8	एमआईसीआर सं.	110002658

अन्य बिंदुओं के लिये अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.13 कार्य-निष्पादन गारंटी

चयनित बोलदाता को कार्यनिष्पादन गारंटी (अनुलग्नक 'ठ' में प्रारूप) के रूप में स्वामित्व (कृपया अनुलग्नक 'आई' के स्वामित्व एक्स की कुल लागत का संदर्भ लें) की कुल लागत के 3% की बैंक गारंटी किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से देनी होगी। निष्पादन गारंटी संविदा अवधि यानी 5 वर्ष समाप्त होने के बाद कम से कम तीन माह तक वैध रहनी चाहिए। यदि अनुबंध अवधि को आरएफपी की शर्तों के अनुसार बढ़ाया जाता है, तो इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है। सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानूनों और किसी भी अन्य कानूनों / नियमों / विनियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने सहित आरएफपी अवधि में गैर-कार्यनिष्पादन या चूक के जोखिम के एवज में रा.आ.बैंक के हितों की रक्षा के लिए पीबीजी की आवश्यकता होती है। अनुबंध की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी के आह्वान को वारंट कर सकता है, और यदि बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप चलनिधि क्षतिपूर्ति / जुर्माना लगाया जाता है, तो रा.आ.बैंक प्रस्तुत बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृपया ध्यान दें कि यदि पीबीजी को कार्य आदेश जारी करने के बाद प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वेंडर को कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

3.14 चलनिधि क्षति

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.15 बोलियों की वैधता अवधि

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.16 बोली प्रारूप तथा हस्ताक्षर

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.17 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे:

महाप्रबंधक,
सूचान प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

अन्य बिंदुओं के लिये अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.18 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

3.19 विलंब से प्राप्त बोलियां

बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

3.20 बोलियों में संशोधन और/ या आहरण

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.21 बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.22 बोलियों पर स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.23 प्रारंभिक जांच

- बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।

- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3.24 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

3.25 बोलीदाताओं को निर्देश:

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.26 मूल्य संरचना एवं विचलन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.27 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

वेंडर के पास इस आरएफपी में विस्तृत रूप में इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली-एनसीआर में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

3.28 मैनुअल एवं डॉइंग

वेंडर संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सप्ष्ट तौर पर उल्लिखत होनी चाहिए।

3.29 बोली मूल्यांकन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.30 संशोधन एवं वापसी

एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित नहीं किया जाएगा। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.31 मूल्य का प्रकटन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.32 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

3.33 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

3.34 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

3.35 प्रस्ताव की सामाग्री

वेंडरों के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

3.36 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

3.37 कानूनों का अनुपालन

क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

ख) बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.38 बौद्धिक संपदा अधिकार

सेवा प्रदाता के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

(क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्चे पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों

वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्ति समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

(घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अत: इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रकियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

(ङ) इसके अतिरिक्त, खंड लागू है लेकिन खंड 5.5.9 में सूचीबद्ध मदों हेतु सीमित नहीं है।

3.39 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यी उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बायाना/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

3.40 वर्तमान सेट-अप

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

4 कार्य-क्षेत्र

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

5. सेवा स्तर एवं अर्थदंड खंड

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

6. परियोजना अनुसूची

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

7. बोली प्रकिया (2 स्तर) एवं मूल्यांकन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

8. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What's New

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXXXXX